न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रकरण संख्या 07/11 तारीख रजू 10/01/2011

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री उमेश उर्फ मल्लू पुत्र श्रीलाल चन्द्र जाति माथुर उम्र 32 साल निवासी नीम की चौकी शहर सवाई माधोपुर । ––गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 13.4.18

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री उमेश उर्फ मल्लू पुत्र श्रीलाल चन्द्र जाति माथुर उम्र 32 साल निवासी नीम की चौकी थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व थानाधिकारी थाना कोतवाली में स0मा0 जिला सवाईमाधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1.	70/09	11.02.09	13 आरपीजीओ	47	19/02/09	सजा
2.	309/09	28/06/09	13 आरपीजीआ	207	30/06/09	सजा
3.	384/09	18/08/09	13 आरपीजीआ	270	31/08/09	सजा
4.	279/10	24/06/10	13 आरपीजीआ	179	30/06/10	पैण्डिगं कोर्ट

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआ सट्टे में लिप्त रहकर स्थानीय भोल भाले सीधे साधे लोगों को दांव कर धन लगाने के लिए उकसा कर तथा हार जीत के खेल अंको के आधार पर दाव लगाकर खाई वाली करता है। तथा गैरसायल ने इस सट्टे की खाईवाली को अपनी आमदनी का पैसा बना लिया है। जो अवैध कार्य में लगातार तीन बार दोष सिद्व हो चुका है। गैरसायल को इसके निवास स्थान शहर सवाई माधोपुर में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षैत्र के लिए घातक है तथा इस अवैध सट्टे बाजी के कारोबार में अपने स्थानीय नेटवर्को व सम्पर्कों से दिन रात लगा रहता है तथा गैरसायल को स्थानीय निवास की अधिकारीता से बाहर किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम ,1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिषक व असालतन उपस्थित आया। गैरसायल श्री उमेश उर्फ मल्लू पुत्र श्रीलाल चन्द्र जाति माथुर उम्र 32 साल निवासी नीम की चौकी थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य मे श्री पहलवान सिंह हाल एएसआई थाना मानटाउन व श्री शरीफ अली हाल एएसआई थाना कोतवली के बयान करवाये तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया कि गैरसायल जुआ सट्टे में लिप्त रहकर स्थानीय भोल भाले सीधे साधे लोगों को दांव कर धन लगाने के लिए उकसा कर तथा हार जीत के खेल अंको के आधार पर दाव लगाकर खाई वाली करता है। तथा गैरसायल ने इस सट्टे की खाईवाली को अपनी आमदनी का पैसा बना लिया है। जो अवैध कार्य में लगातार तीन बार दोष सिद्ध हो चुका है। गैरसायल को इसके निवास स्थान शहर सवाई माधोपुर में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षैत्र के लिए घातक है तथा इस अवैध सट्टे बाजी के कारोबार में अपने स्थानीय नेटवर्को व सर्म्पकों से दिन रात लगा रहता है तथा गैरसायल को स्थानीय निवास की अधिकारीता से बाहर किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा गैरसायल को पुलिस द्वारा चार बार 13 आरपीजीओ अधिनियम के अर्न्तगत कृत्य कारित करते हुए पकडे जाने पर बाद अनुसंधान आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरणो मे से तीन प्रकरणों माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधि में नहीं आता है। गैरसायल शान्तिप्रिय एवं बाल बच्चेदार परिवार का व्यक्ति है। गैरसायल पर पुलिस द्वारा सट्टे के झूठे मुकदमें बनाये गये है तथा उक्त इस्तगासा जरिये थानाधिकारी पेश हुआ है जिस पर एस0पी0 के हस्ताक्षर है। गवाह की सूची में एस0पी0 साहब का नाम होना आवश्यक था। उक्त इस्तगासा में परिवादी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ अतः उक्त इस्तगासा बिना सबूत के खारिज होना चाहिए तथा सम्पूर्ण गवाहों के बयान भी नहीं हुए है केवल 2 गवाहो के बयान हुए है, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिनियम,1975 की धारा 3 के संबंध में प्रस्तुत अभियोग पत्र की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभंति अवलोकन करने के पश्चात हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्व है कि गैरसायल के खिलाफ थाना कोतवाली सवाई माधोपुर मे चार प्रकरण 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत पंजीवद्व हुए है तथा बाद अनुसंधान इन आपराधिक प्रकरणो मे आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा गेर सायल को 13 आरपीजीओं के तीन प्रकरणों अपराध करने का दोषी पाया जाकर जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के अन्तर्गत 13 आरपीजीओं अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम तीन बार दोष सिद्व व्यक्ति को "गुण्डा" की श्रेणी मे माना गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा गैर सायल धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत तीन बार दोष सिद्व होने की पुष्टि होती है एवं एक प्रकरण पेन्डिग है तथा इन अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गेर सायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3)मे वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि–

1–गेर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3) मे वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवम् गैर सायल को उक्त तालिका मे अंकित तीन अपराधो मे माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा तीन बार दोष सिद्व करार दिया जा चुका है। अतः गैर सायल "गुण्डा" की श्रेणी मे आता है।
2–गैर सायल की गतिविधियां एंव प्रवृतिया अनैतिक एवम् दुष्प्रेरित है जो थाना क्षेत्र सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर के लिए घातक एवम् खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
3– गैर सायल के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैर सायल जिले मे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3) मे वर्णित आपराधिक कृत्य कारित करने मे संलिप्त है।
4– गैर सायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

लिहाजा–

मैं महेन्द्र लोढ़ा ,अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर गैर सायल श्री उमेश उर्फ मल्लू पुत्र श्रीलाल चन्द्र जाति माथुर उम्र 32 साल निवासी नीम की चौकी शहर सवाई माधोपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत "गुण्डा"

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

घोषित करता हूं तथा गैरसायल को तीन माह (90 दिवस) की समयावधि के लिए जिला सवाई माधोपुर व थाना सवाई माधोपुर परिक्षैत्र से निष्कासित करने का आदेश देता हूं। एस. एच.ओ. थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की तिथि से 15 दिवस पश्चात गेर सायल को तीन माह (90 दिवस) की समयावधि के लिए जिला करौली के थाना नादौती पर रहने हेतु थानाधिकारी थाना नादौती जिला करौली को सुपुर्द करे। गैर सायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जाय। गैर सायल वहां रहने की जानकारी के लिए थाने मे उपस्थिति देगा एवम् तीन माह समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर/थानाधिकारी थाना कोतवाली सवाई माधोपुर एवं थानाधिकारी थाना नादौती जिला करौली को भेजे व एक प्रति गेर सायल को दी जाय।

निर्णय आज दिनांक 13.4.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर